(155)

न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा.सं./2017/1975

श्रीमती रामश्री पत्नी भरत निवासी ग्राम इमलौदा तहसील बदरबास जिला शिवपुरी म.प्र.

---- आवेदक

एस. पी. [illegible] एडवोकेट द्वारा आज दि. 29/06/17 को प्रस्तुत

29.6.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिरूद्ध

(1) [illegible] इमलौदा तह० बदरवास जिला शिवपुरी म.प्र.

(2) म0प्र0 शासन

--- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार बदरबास जिला शिवपुरी के प्र.क. 19/2016–17/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 21.06.2017 के बिरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

29.6.17

29/6/17

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य :–

यह कि, अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ग्राम इमलौदा तहसील बदरबास जिला शिवपुरी के समक्ष भूमि सर्वे क. 45, 46, 88, 89, रकवा 0.58, 0.31, 0.05, 0.10, हे. कुल किता 4 कुल रकवा 1.04 हें. के संबंध में अनावेदक द्वारा सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्र.क. 19/अ–12/2016–17 पर दर्ज किया जाकर आपत्तियां आहूत किये बिना तथा अनावेदक द्वारा सीमाकंन नियमों का पालन किये बिना आदेश दिनांक 21.06.2017 को पारित करा लिया गया। उक्त प्रकरण में कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया और ना ही सरहदी कृषकों को सीमाकन सम्बंधी कोई सूचना पत्र जारी किया गया। परन्तु आवेदिका को तलब किये बिना दिनांक

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./1975/2017

श्रीमती रामश्री विरूद्ध कल्लूराम केवट एवं म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-05-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार बदरबास, जिला- शिवपरी के प्रकरण क्रमांक 19/2016-17/अ-12 में पारित आदेश दिनांक 21-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी बदरबास, जिला- शिवपुरी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-07-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये (आर.के. जैन) 28/5/19 सदस्य	